न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 49/2018

अपीलांट

1. रघुलाल पुत्र शत्रुघ्न, जाति वागरी निवासी देबावास तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. गणेशाराम पुत्र नाथारामजी, जाति मेघवाल, निवासी देबावास तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नरपतसिंह देवडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट गणेशाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम देबावास तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 632 से बना नया खसरा नंबर 1606 रकबा 2.97 हैक्टर के संबध में खातेदारी हक, घोषणा का प्रस्तुत किया, साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने मूल वाद के जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट भूमि का खातेदार है। अपीलांट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी पर मौके पर कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली लोक अदालत कैम्प देबावास में रखकर बिना अपीलांट को सूचित किये जैर अपील आदेश पारित किया हैं। जो कि विधिसम्मत नही हैं अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट गणेशाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम देबावास तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 632 से बना नया खसरा नंबर 1606 रकबा 2.97 हैक्टर के संबध में खातेदारी हक, घोषणा का प्रस्तुत किया, साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। अपीलांट ने अपने आप को अन्ना पुत्र झाला का वारिसदार बताते हुए वादग्रस्त आराजी का फौतगी म्यूटेशन भरवाने की कोशिश कर रहा है। जबकि अपीलांट एक संदेहास्पद व्यक्ति है जिसे अन्ना पुत्र झााला का निर्विवाद वारिसदार नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वह अन्ना पुत्र झाला का उतराधिकारी साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस जारी किये गये, जो कि अदम तामिल प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अपीलांट के नोटिस अखबार में साया करवाया गया। उसके पश्चात अपीलांट की ओर से वकील श्री मांगीलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में वादग्रस्त आराजी के संबध में हक हकूक तय होगे। किन्तु अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी के संबध में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का रद्धोबदल होता है तो इससे मुकदमे बाजी बढेगी। वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका निस्तारण साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के समर्थन में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी है, या अपीलांट एव रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी में किस प्रकार से हक अधिकार उत्पन्न होते है ? इस तथ्य का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी के संबध में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली